



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक-125 /01 याता0'क' /2023

दिनांक-27 .01.2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-713/11(1)/21-02(16)जॉच/21 दिनांक-18.04.2022 द्वारा समयवृद्धि प्रकरणों की स्वीकृति हेतु एस0ओ0पी0 निर्धारित की गई है, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक-955/01 याता0'क' /2020 दिनांक-20.08.2022 द्वारा निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुरूप ही समयवृद्धि स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे EOT प्रकरणों के परीक्षण करने पर पाया गया कि अधिकांश समयवृद्धि प्रकरण निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं जिससे इन प्रकरणों को लौटाना पड़ता है एवं पुनः प्रस्तुत होने तक अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गतिमान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए नितान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में यथा आवश्यकता अतिरिक्त समयवृद्धि (Extension of time) प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अतिरिक्त समयवृद्धि (Extension of time) प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में किसी प्रकार की अनियमितता/लापरवाही बरते जाने के तथ्य संज्ञान में आने पर सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-713/11(1)/21-02(16) जॉच/21 देहरादून, दिनांक-18.04.2022 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत गतिमान विभिन्न निर्माण कार्यों एवं परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त समयवृद्धि (Extension of time) प्रदान किये जाने विषयक निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(इं0 अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0.....
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,..... वां वृत्त, लो0नि0वि0.....
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0.....
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (नि0-11) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।

MRD
25.1.2023
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष